न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं. 15/प्रा.पत्र/2020 (GCMS No. 2020/00017)	19.02.2020	14.10.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

स्व. सुखा आ. धूला जाति हरिजन निवासी बिशनपुरा, तहसील बूंदी
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) :–

1. गजानन्द आ. स्व.सुखा जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान
2. नेमीचन्द आ. स्व.सुखा जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान
3. पूरण आ. स्व.सुखा जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान
   तहसील बून्दी, जिला बून्दी (राज.)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री सुनील दाधीच एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी सुखा आ. धूला जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 1583, 1585, 1586 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान दिनांक 08.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

जिला कलक्टर, बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पंजिका क्रमांक 15/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2020/00017 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उपस्थित न्यायालय आकर दिनांक 04.03.2024 को अपना जवाब पेश किया जाकर उक्त आवंटन को यथावत रखने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

तत्पश्चात बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी सुखा आ. धूला का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बून्दी (राज.)

अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये गये कि आवंटी सुखा आ. धूला ने आवंटन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलत सूचना या शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार के तथ्यों को छुपाया है, इसलिए आवंटन यथावत रखे जाने योग्य है। आवंटी को आवंटन दिनांक 08.11.75 के पश्चात कब्जा संभलाकर दखलनामा दिया गया, तब से ही आवंटी का निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। आवंटी सुखा की मृत्यु के बाद उसके वारिसान अप्रार्थीगण का निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। वर्तमान समय में भी अप्रार्थीगण जर्ये फोती नामान्तकरण गैर खातेदार के रूप में उक्त भूमि खसरा सं. 1583 रकबा 0.2307 हैक्टेयर, ख.सं. 1585 रकबा 0.3537 हैक्टेयर एवं ख.सं. 1586 रकबा 0.0846 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.6690 हैक्टेयर पर काबिज होकर काश्त कर रहे है तथा अप्रार्थीगण की फसल खड़ी हुई है। आवंटी द्वारा वक्त आवंटन सम्पूर्ण राशि जमा करवा दी थी एवं आवंटन की सम्पूर्ण शर्तो की पालना करता आया है। यदि आवंटी के उपर आवंटन किश्तों की कोई राशि बकाया निकलती है तो उसे अप्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। अनुसूचित जाति के अप्रार्थीगण के पास उक्त कृषि भूमि की उपज के अलावा जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है। यदि आंवटन को निरस्त कर दिया तो अप्रार्थीगण के समक्ष भूखों मरने की नोबत आ जावेगी। इसलिए उक्त आवंटन यथावत रखा जावे।

जिला कलक्टर, बून्दी

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। जिससे ज्ञात हुआ कि आवंटी सुखा आ. धूला जाति हरिजन को दिनांक 08.11.1975 को भूमि खसरा सं.1583, 1585, 1586 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान का आवंटन किया गया था। आवंटी को किया गया उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रकरण अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) यहां पेश किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंदी संवत 2072–2075 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 1583 रकबा 0.2307 हैक्टेयर, ख.सं. 1585 रकबा 0.3537 हैक्टेयर एवं ख.सं. 1586 रकबा 0.0846 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.6690 हैक्टेयर वाकेग्राम बिशनपुरा पर आवंटी सुखा पुत्र धूला जाति हरिजन गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रकरण में तहसीलदार बून्दी द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र के बिन्दू 4 पर "आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है, आवंटी द्वारा आवंटन किश्त जमा नहीं की गई है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जा रही है" अंकित किया है। राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह **शर्त** है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 **प्रतिशत** भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में आवंटित भूमि पर उनका कब्जा काश्त होना बताया है किन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये, जिससे उक्त आंवटित भूमि पर आवंटी या वारिसान का कब्जा काश्त होना तथा आवंटन की शर्तो की पालना किया जाना साबित हो सके। इस प्रकार प्रकरण में आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी या उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवंटी सुखा आ. धूला जाति हरिजन निवासी गुढानाथावतान को किया गया भूमि आवंटन खसरा संख्या 1583, 1585, 1586 रकबा 5 बीघा 07 बिस्वा वाकेग्राम गुढानाथावतान (वर्तमान ख.सं.1583 रकबा 0.2307 हैक्टेयर, ख.सं.1585 रकबा 0.3537 हैक्टेयर एवं ख.सं. 1586 रकबा 0.0846 हैक्टेयर किता 3 कुल रकबा 0.6690 हैक्टेयर हाल ग्राम बिशनपुरा) दिनांक 08.11.1975 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को तत्काल कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी